क्रम–संख्या––108

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 23 अप्रैल, 2018

बैशाख 3, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

संख्या 55/2018/4556/89–व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0–2017–45(टी)–83
लखनऊ, 23 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

प0आ0–107

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित शिक्षु अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1961) की धारा 24 की उपधारा (1), (4) और (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 172–वि/36–6–87–45(टी)–83, दिनांक 19 जुलाई, 1988 का अधिक्रमण करके राज्यपाल,–

(क) इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षुता परिषद की स्थापना करते है जिसे ''उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद'' कहा जायेगा;

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों को ''उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद'' का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करते हैं:–

1.	मा0 मंत्री, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उत्तर प्रदेश	उपाध्यक्ष
3.	राज्य शिक्षुता परामर्शदाता एवं निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य सचिव
4.	मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकासा मिशन, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
5.	अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
6.	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7.	निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	क्षेत्रीय निदेशक (शिक्षु), उत्तरी क्षेत्र, भारत सरकार, कानपुर	सदस्य

9.	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षु/शिशिक्षु), लखनऊ मण्डल	सदस्य
10.	निदेशक, शिक्षुता एवं प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार, काकादेव, कानपुर	सदस्य
11.	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	सदस्य
12.	श्रम आयुक्त, कानपुर, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13.	महाप्रबंधक (का0प्र0–3), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ	सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी संघ लिमिटेड 9–ए, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ	सदस्य
15.	क्षेत्रीय निदेशक, पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कामर्स एवं इण्डस्ट्रीज, 5–पार्क रोड, लखनऊ	सदस्य
16.	निदेशक, उद्योग बन्धु, पिकप भवन गोमती नगर, लखनऊ	सदस्य
17.	महाप्रबन्धक, टाटा मोटर्स, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, लखनऊ	सदस्य
18.	भारतीय मजदूर संघ–7 एफ महापालिका क्वाटर्स पिशाच मोचन, वाराणसी के प्रतिनिधि	सदस्य
19.	भारतीय मजदूर संघ मुख्य कार्यपालक, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षुता परिषद् जिसे आगे परिषद् कहा गया है, के सदस्यों और पदाधिकारियों की पदावधि, उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और उनके मध्य रिक्तियों को भरे जाने की रीति निम्नानुसार हैः–

(1) पदावधि–

(क) परिषद् 03 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जायेगी और तत्पश्चात प्रत्येक 3 वर्ष की समाप्ति पर पुनः गठित की जायेगी। इसमें नियुक्त समस्त सदस्य तद्नुसार तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगें, परंतु परिषद् का कोई सदस्य उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बावजूद तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है;

(ख) जहां कोई व्यक्ति पदाभिधान से परिषद् का सदस्य चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है वहां वह सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह उस पद या नियुक्ति को धारण करने से प्रविरत हो जाता है।

(2) सदस्यता की समाप्ति–

(क) परिषद का कोई सदस्य, सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वह पदत्याग कर देता है, विकृत चित्त का हो जाता है, दिवालिया, घोषित कर दिया जाता है या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त दाण्डिक अपराध का दोषी पाया जाता है;

(ख) परिषद के किसी सदस्य का पद, उस दिनांक से जिस दिनांक को उसका पदत्याग स्वीकार किया जाता है या त्याग–पत्र स्वीकृत किये जाने के दिनांक से तीन दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, रिक्त हो जायेगा।

(3) रिक्तियों का भरा जाना–

(क) उप–खण्ड (2) के मद (क) में उल्लिखित कारणों से परिषद की सदस्यता में हुई कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी;

(ख) कोई आकस्मिक रिक्ति भरी जाने के लिये नियुक्त सदस्य तब तक उस सदस्य, जिसका स्थान वह लेगा, के रूप में पद धारण करेगा, जब तक उक्त सदस्य, यदि रिक्ति न होती तो पद धारण हेतु हकदार होता।

(4) बैठक का समय व स्थान–

परिषद, यथा आवश्यक बहुधा और वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर बैठक करेगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधानित किया जाय।

(5) बैठक हेतु सूचना–

सचिव, परिषद् की बैठक हेतु प्रत्येक सदस्य को अन्यून पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देगा किन्तु आपात बैठक आयोजित किये जाने हेतु अपेक्षाकृत लघु सूचना प्रदान की जा सकती है।

(6) परिषद् की गणपूर्ति–

परिषद् की किसी बैठक के लिए, परिषद् के सदस्यों की एक तिहाई संख्या से गणपूर्ति सृजित होगी।

(7) बहुमत द्वारा विनश्चय–

(क) परिषद द्वारा विनिश्चत किये जाने वाले समस्त प्रश्न, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के

बहुमत की राय के अनुसार होंगे;

(ख) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा। यदि मतों में समानता हो तो अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(8) परिचालन द्वारा विनिश्चिय–

अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, परिषद् की बैठक आयोजित करने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से पत्रजातों के संचालन द्वारा कार्य के किसी पद पर सदस्यों की राय प्राप्त कर सकता है और ऐसे मद का विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जायेगा।

(9) परिषद् की कार्यवाहियां–

(क) परिषद् की समस्त कार्यवाहियों की प्रतियॉ व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सचिव, राज्य परिषद् को प्रदान की जायेंगी। उक्त राज्य परिषद् द्वारा उन पर अभिव्यक्त किये गये किन्हीं विचारों या दिये गये सुझावों पर परिषद् द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जायेगा;

(ख) अन्य समस्त मामलों में, परिषद् ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसा कि वह अवधारित करे।

(10) सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति–

परिषद् किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को किसी मामलें में परामर्श देने या सहायता करने के लिए अपनी बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। तथापि इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति, परिषद् के समक्ष आने वाले किसी प्रश्न पर मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(11) परिषद की समितियाँ–

(क) परिषद् के पास अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता करने के लिये ऐसी स्थायी या विशेष समितियाँ, जैसा कि उसके द्वारा समीचीन समझा जाय, गठित करने की शक्ति होगी;

(ख) स्थायी अथवा विशेष समितियों के कृत्यों का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा; और

(ग) स्थायी अथवा विशेष समितियों की संरचना का अवधारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(12) शुल्क एवं सदस्यों के भत्ते–

अध्यक्ष और राज्य सरकार के प्रतिनिधि परिषद् या उसकी समितियों के बैठक में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार से सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्तों का आहरण करेंगे। परिषद के समस्त अन्य सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा परिषद् या उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए सुसंगत नियमावली के अनुसार समूह 'क' के सरकारी अधिकारी को अनुमन्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जायेगा।

(13) कार्यों और कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन–

(क) परिषद् के समस्त कार्यों और कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन, अध्यक्ष या अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा किया जायेगा।

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव परिषद् के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

आज्ञा से,
भुवनेश कुमार,
सचिव।